Order Sheet [Contd]

Case No-SCELE/577/2023
Crime No-815/2022

राष्ट्रीय लोक अदालत खण्डपीठ क्र0—08

दिनांक 09.05.2026 को आयोजित

म0प्र0पू0क्षे0वि0म0 बनाम इन्द्रजीत तिवारी

09.05.2026

प्रकरण राष्ट्रीय लोक अदालत की खंडपीठ क्रमांक 8 के समक्ष पेश।

परिवादी द्वारा श्री पूणेन्द्र सिंह विशेष लोक अभियोजक।

अभियुक्त अनुपस्थित।

परिवादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 321 दं.प्र.सं., 1973 पर सुना गया तथा प्रकरण का अवलोकन किया गया।

परिवादी का आवेदन पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि इस प्रकरण की समस्त क्षति राशि की राशि का भुगतान अभियुक्त उक्त अपराध को स्वीकार करते हुए परिवादी के कार्यालय में किया जा चुका है। अतः परिवादी द्वारा अभियुक्त से राजीनामा के आधार पर समस्त राशियॉ भुगतान होने के कारण और प्राप्त होने के कारण वह अपने प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहता है। अतः परिवादी का परिवाद पत्र उक्त समस्त राशियों के भुगतान होने के फलस्वरूप वापस किया जावे और उसके प्रकरण को समाप्त किया जावे।

अनुपस्थित अभियुक्त की ओर से परिवादी की ओर से प्रस्तुत परिवाद पत्र धारा 321 दं.प्र.सं., 1973 का संपूर्ण रकम राजीनामा की प्राप्त करने के पश्चात और उक्त प्रकरण वापस किए जाने के संबंध में परिवादी का उक्त आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है। उक्त आवेदन पत्र के आधार पर अनुपस्थित अभियुक्त को उसके विरूद्ध प्रस्तुत परिवाद पत्र **धारा 135** विद्युत अधिनियम के अपराध से उक्त प्रकरण वापस लिए जाने के फलस्वरूप **उन्मोचित** किया जाता है।

आदेश की प्रति उभयपक्ष को निःशुल्क प्रदान की जावे।

अभियुक्त के विरूद्ध जारी गिरफ्तारी वारण्ट अदम तामील वापस मंगाया जावे।

प्रकरण का परिणाम पंजी में दर्ज कर अभिलेख नियत अवधि में अभिलेखागार, रीवा भेजा जावे।

(विपिन त्रिपाठी)
सदस्य

(वारीन्द्र कुमार तिवारी)
पीठासीन अधिकारी
राष्ट्रीय लोक अदालत खण्डपीठ क्र0—08
विशेष न्यायाधीश, विद्युत अधि0,
जिला—रीवा (म.प्र.)

VARINDRA KUMAR TIWARI
Digitally signed by VARINDRA KUMAR TIWARI
Date: 2026.05.09 15:42:11 +0530